

# न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही।

सिलिंग वाद संख्या 01/2019

चन्द्रवति देवी बनाम केवली देवी वगै०

—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-


अभियुक्ति


आवेदिका चन्द्रवति देवी, पति श्री शंकर मोदी, निवासी ग्राम बेलकपी, टोला बंडासिंघा, पो०-बेलकपी, थाना-गोरहर, जिला-हजारीबाग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से भू-हदबंदी की धारा 16(3)(i) के तहत मौजा- बेलकपी, थाना नं०-104, खाता नं०-150, प्लॉट नं०-2488, कुल रकबा-13.34 डी० मधे रकबा 16 डी०, चौहदी 30-वेस्ट स्कूल, द०- छोटी मोदी, पू०-चौधरी महतो, प०-डेगो मोदी उर्फ डीलो मोदी। आवेदिका चन्द्रवति देवी द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के सह रैयत हैं। भूमि इन्हे मिलना चाहिए था, लेकिन विपक्षी 1. केवली देवी, पति श्री टेकामन महतो 2. सीता देवी, पति श्री चेतलाल महतो 3. ललिया देवी, पति श्री युगल महतो 4. कौशल्या देवी, पति श्री टहल महतो 5. सुदामा देवी, पति श्री गोबर्धन महतो 6. फुलवा देवी, पति श्री नारायण महतो 7. बलिया देवी पति श्री पुनीत यादव 8. रीना देवी पति श्री रामचन्द्र यादव सभी निवासी साकिन-बेलकपी, टोला- बंडासिंघा, पो०-बेलकपी, थाना गोरहर, जिला हजारीबाग को उर्मिला देवी, पति स्व० छोटू मोदी, साकिन-बेलकपी, टोला- बंडासिंघा, पो०-बेलकपी, थाना गोरहर, जिला हजारीबाग ने अनुचित तरीके से विपक्षीगण को केवाला सं०-3162, दिनांक 17.12.2018 द्वारा बिक्री कर दिया गया है। आवेदिका द्वारा केवाला की निर्धारित राशि एवं अतिरिक्त 10 प्रतिशत की राशि कुल मो० 55000.00 रूपया ऑन लाईन चालान के माध्यम से संबंधित प्राप्ति शीर्ष-002900800010101 में जमा करा दिया गया है। चालान की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदिका द्वारा प्रश्नगत भूमि अपने नाम करने का अनुरोध किया है।

प्रथम पक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर बतलाया गया कि मेरे द्वारा केवाला सं० 1378 दिनांक 25.05.2018 से विक्रेतागण रामेश्वर मोदी, सरयु मोदी, प्रयाग मोदी, धनश्याम मोदी उर्फ प्रसादी प्रसाद वर्णवाल, भुनेश्वर मोदी पिता कैला मोदी से प्रश्नगत भूमि मौजा बेलकपी थाना नं० 104, खाता नं०-150, प्लॉट नं०-2488, कुल रकबा-13.34 डी० भूमि क्रय की है। शेष भूमि रकबा 2.66 डी० छठे भाई स्व० छोटू मोदी की पत्नी उर्मिला देवी केवाला सं० 3162, दिनांक 07.12.2018 से केवली देवी वगै० को बिक्री कर दी। उर्मिला देवी द्वारा अपने हिस्से की भूमि चौहदी के अनुसार बिक्री न कर मेरे खरीदे गये भूमि के चौहदी का अंश भाग भी बेच दिया गया है। इसलिए मेरे द्वारा सिलिंग वाद दायर किया गया है। आवेदिका द्वारा इस संबंध में दिनांक 04.02.2021 को भी लिखित आवेदन समर्पित किया गया है।

अतएव अभिलेख का अवलोकन प्रथम पक्ष द्वारा दिए गए जानकारी से स्पष्ट होता है कि यह मामला सिलिंग भू-हदबंदी अधिनियम 1961 के धारा 16 (iii) के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए आवेदिका के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
बरही, हजारीबाग।

  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
बरही, हजारीबाग